रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266917
SG-DL-E-14102025-266917

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 305] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947 [N. C. T. D. No. 273

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग
(गृह रक्षक महानिदेशालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2025

फा0सं0 1/21/2023–गृ0रक्ष0/2990— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा **पाइप बैंड मैन**, गृह रक्षक, दिल्ली के पद हेतु भर्ती नियम के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **पाइप बैंड मैन** के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

i. इन भर्ती नियमों को गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पाइप बैंड मैन, भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

ii. ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग :– ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. अयोग्यता :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. बचावः– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	पाइप बैंड मैन
2.	**पदों की संख्या**	:	07*(2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह ''ग'' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**पे बेंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–01 (रुपये 18,000–56,900/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 से 25 वर्ष के बीच* *यदि पदों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना है तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा आदेश के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीपः**– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	अनिवार्य : 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस या गृह रक्षक या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन/संस्थान से बैंड वाद्ययंत्रों में कम से कम 06 माह का प्रशिक्षण। शारीरिक मापदंड : न्यूनतम लंबाई 5'7" सामान्य छाती 33 इंच जो डेढ़ इंच तक फुलाव सहित हो। **टीप :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण/ आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/ स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0– **सदस्य** **टीप** :–यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राखी सिंघल, उप–सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF HOME GUARDS)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd October, 2025

F.1/21/2023-HG/2990.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification no.F.27/59-Him (i) dated. 13th July, 1959 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of **Pipe Band Man** Home Guards, Delhi except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt, Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Pipe Band Man in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

i. These Recruitment Rules may be called the Pipe Band Man Recruitment Rules, 2025 in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi.

ii. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application:- These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of Posts, classification and level in pay matrix:- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualification:- No person;

a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, Exempt any person from the operation of these Rules.

6. Power to relax:- where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the UPSC may relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:- Nothing in these Rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**No. of the Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale**	**Selection or Non Selection**	**Age limit for direct recruitment**	**Educational and other qualifications for direct recruitment**
1	2	3	4	5	6	7
Pipe Band Man	07* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-01 (Rs.18,000-56,900) in the Pay Matrix.	N.A.	Between 18 to 25 years***** *In case of post being filled up by all-India competition, it would be between 18 to 27 years. (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance	Essential: 1. 10th Pass recognized Board. 2. At least 06 months training in Band Instruments from Military or Paramilitary or Police or Home Guards or any other recognized

					with the instruction or orders issue by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.	organization/Institute. Physical Standard: Minimum Height 5'7" Normal Chest 33 Inches with expansion one and a half inch. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of DSSSB/Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age limit, educational qualifications prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	**Period of probation , if any**	**Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion/deputation /transfer/absorption grades from which promotion /deputation /transfer/absorption to be made**	**If a Departmental promotion committee exists what is its composition**	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment**
8	9	10	11	12	13
N.A.	Two Years	100% by Direct recruitment.	N.A.	Group 'C' DPC (for considering promotion/confirmation) : 1. Principal Secretary/Secretary (Power) - Chairman 2. Head of the Department concerned-Member 3. Dy. Secretary (Finance) GNCT of Delhi-Member Note: Senior most member of Departmental Confirmation	Consultation with UPSC is not Necessary.

				Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	

,

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

RAKHI SINGHAL, Dy. Secy. (Home)

\

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.14 15:24:28 +05'30'